कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष– 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स– 0755– 2555162

E-Mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com, Website:ceomadhyapradesh.nic.in

फा.क्र. 1(ए)/2019/03/5075 **भोपाल, दिनांक 20/3/19**

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषयः लोकसभा निर्वाचन 2019 – मतदाताओं को डुप्लीकेट मतदाता फोटो परिचय पत्र उपलब्ध कराने वावत्।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता वोटर स्लिप के साथ–साथ अब वोटर द्वारा अपना पहचान पत्र जैसे – मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) अथवा अधिसूचित अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र को पेश किया जाना होगा ताकि उनके मतदान केन्द्र पर उनकी पहचान हो सकें। राजनैतिक दलों के द्वारा यह संभावना जाहिर की गई है कि कई मतदाताओं, जिनके ईपिक 10–15 साल पूर्व बने, के वोटर कार्ड खराब हो गये होंगे या गुम गये होंगे। ऐसे सभी मतदाताओं को अभी से सर्तक किया जाना है कि वह अपने–अपने डुप्लीकेट ईपिक बनवा ले।

लोकसभा निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है, निर्वाचन में मतदाताओं द्वारा मतदान को सरल एवं सुविधाजनक करने के लिए मतदाता परिचय पत्र का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। ऐसे सभी पात्र मतदाताओं जिनके ईपिक गुम गये या खराब हुये हो, उनको डुप्लीकेट ईपिक बनाने हेतु विशेष अभियान मार्च 2019 के अंतिम सप्ताह मे चलाया जाना है।

डुप्लीकेट मतदाता फोटो परिचय पत्र की तैयारी एवं वितरण के संबंध में विशेष अभियान हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावें :–

1. डुप्लीकेट मतदाता फोटो परिचय पत्र की तैयारी एवं वितरण के संबंध में विशेष अभियान हेतु जिले में एक नियंत्रण कक्ष बनाकर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जावे।
2. विशेष अभियान के दौरान सभी बीएलओ मतदान केन्द्र पर उपस्थित होकर डुप्लीकेट ईपिक हेतु आवेदन प्राप्त करेगें एवं संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।
3. संबंधित ईआरओ द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का निराकरण कर दिनांक 01.04.2019 को डुप्लीकेट ईपिक का वितरण संबंधित मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से करायेंगें।
4. विशेष अभियान की तिथियों का जिला स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें।

19.3.19
(संदीप यादव)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश

पृ.क्र. 1(ए)/2019/03/5076 भोपाल, दिनांक 20.03.2019

प्रतिलिपि :–

1. संभागीय आयुक्त समस्त संभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समस्त मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी स्वीप शाखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. श्री संजय वर्मा एसएलए की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

19.3.19

(संदीप यादव)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश